NOC

पत्रांक –उपनिदेशक (प्रा0शि0) कोषांग–01/2006
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,

शिव प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक– ..... जून, 2006

विषयः– स्मार्ट ऐजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित "होली मिशन सिनियर सकेन्ड्री स्कूल" को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि उपरोक्त संस्था द्वारा उपलब्ध कागजातों के आधार पर सरकारी अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विचेचना की गई है तथा कंडिकावार स्थिति निम्नवत् है :–

1. स्कूल का संचालन उपरोक्त संस्था/ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है जिसके ट्रस्टी सदस्य निम्नलिखित है –

(i) श्री रमेश कुमार ठाकुर,
(ii) श्री राजीव कुमार ठाकुर
(iii) श्री गणवंत कुमार मल्लिक
(iv) श्री अनिल कुमार सिंह
(v) श्री सत्य प्रकाश

इनके टेलिफोन नम्बर से प्रतीत होता है कि ये सभी मुजफ्फरपुर के निवासी है । इन्होने किसी भी प्रकार का पारिवारिक संबंध नही होने का दावा किया है । परन्तु अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के अनुपालन में पूरा पता तथा अपना व्यवसाय नही दिया है ।

2. किसी अन्य सोसाइटी/ट्रस्ट/संस्था द्वारा board/नाम का उपयोग नही करना –

उन्होने दावा किया है कि उनका विद्यालय किसी का franchise नही हैं; तथा इनकी जानकारी के अनुसार इस नाम का कोई अन्य विद्यालय नही चलाया जा रहा है । अगर ऐसा होता है तो यह मात्र एक संयोग होगा – ऐसा इनका कहना है ।

उल्लेखनीय है कि होली मिशन नाम से स्कूल किसी अल्पसंख्यक किश्चन मिशनरी द्वारा संचालित विद्यालय का बोध होता है । इन्होनें अपने "Logo" में भी कास का उपयोग किया है । "Holy" तथा "Mission" से मिलते जुलते अल्पसंख्यक मिशनरी स्कूल चलाये जाते है ।

इसके अलावे बिना संबंधन के विद्यालय द्वारा CBSE Curriculum लिखा जा रहा है, जो आम लोगों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा करता है । अतः सी0बी0एस0ई0 को इस पर भी विचार करना चाहिए तथा ऐसे विद्यालयों को संबंधन दिये जाने के औचित्य पर गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिए । इस सन्दर्भ में सी0बी0एस0ई0 को सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 3007/2005 में माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायादेश (दिनांक 03.03.2005) को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें यह निदेश है कि संस्था द्वारा भ्रामक नाम रखकर आम लोगों को गुमराह करना एक गम्भीर बात है । स्कूल को नाम बदलने

इनके पास मानक (norms) के अनुरूप संरचना (infrastructure) है । राज्य के पदाधिकारियों द्वारा विद्यालय का स्थल निरीक्षण नही किया गया है ।

4. एन0सी0टी0ई0 मानक के अनुसार विज्ञप्ति निकाल कर शिक्षकों की नियुक्ति –

इनके द्वारा दावा किया गया । सी0बी0एस0ई0 निरीक्षण दल का सम्पुष्ट करना होगा ।

5. हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है ।

6. वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन, ट्यूशन फीस, अन्य शुल्क आदि को सार्वजनिक किया जाना –

इनके द्वारा दावा किया गया । परन्तु साक्ष्य के रूप में एक भी वार्षिक प्रतिवेदन अथवा अंकेक्षण प्रतिवेदन नही दिया गया है । संलग्न प्रोसपेक्टस में भी शुल्क का ब्योरा नही दिया गया है, ये सभी तथ्य सार्वजनिक किये जाने चाहिए ।

7. 25 प्रतिशत पड़ोस के अभिवंचित वर्ग के बच्चों का निशुल्क नामांकन –

इन्होने दावा किया है कि 20–25 प्रतिशत बच्चों को freeship अथवा full freeship देते रहते है। इनकी उक्ति से यह भरोसा नही होता है कि इनके द्वारा इस शर्त्त को समजजमत तथा चतपज में कियान्वित किया जाएगा ।

8. नर्सरी, के0जी0 तथा प्राथमिक बच्चों को अधिकतम एक किलोमीटर तथा उच्च विद्यालयों/माध्यमिक बच्चों को अधिकतम तीन किलोमीटर से विद्यालय लाया जाना –

इस शर्त्त के अनुपालन का भी गोल मोल उत्तर दिया गया है ।

9. छोटे बच्चों अथवा उनके माता–पिता के interview, test अथवा interaction पर पाबंदी –

इस शर्त्त के आलोक में स्कूल ने आश्वासन दिया हे कि वर्ग एक तथा उसके उपर लिये जाने वाले टेस्ट को बन्द कर देंगें । परन्तु वैकल्पिक, व्यवस्था का कोई आश्वासन नही दिया गया है । इनके द्वारा draw of lots के सिद्धान्त पर प्रवेश देने पर चुप्पी रखी गयी है ।

10. प्रवेश नही दिये जाने की स्थिति में 80 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन, फार्म तथा प्रोस्पेक्टस की कीमत की वापसी –

इनका जवाब भी गोल मोल दिया गया है ।

उपरोक्त कमांक 7 – 10 की शर्त्त यद्यपि ऐच्छिक है, परन्तु बच्चों के हित में सी0बी0एस0ई0 विद्यालय के नामकरण पर सम्यक रूप से विचार करें, साथ ही,

(क) सी0बी0एस0ई0 की निरीक्षण दल आश्वस्त हो जाये कि स्कूल अन्य शर्त्तो का पालन करता है ।

(ख) सी0बी0एस0ई0 द्वारा स्कूल से ऐच्छिक शर्त्तो को भी letter तथा spirit में मनवाने का प्रयास किया जाए।

स्कूल से प्राप्त प्रति संलग्न है । इस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि विद्यालय के प्राचार्य को भी दी जा रही है ।

11. विद्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 08.05.2006 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्त्तो के आधार पर होली मिशन सिनियर सकेण्ड्री स्कूल, प्रभातपुरी, मारीपुर, मुजफ्फरपुर–842001 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(शिव प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक– उपनिदेशक (प्रा0शि0) कोषांग–01/2006 - 429 पटना, दिनांक 27 जून, 2006

प्रतिलिपि –प्राचार्य होली मिशन सिनियर सकेण्ड्री स्कूल, प्रभातपुरी, मारीपुर, मुजफ्फरपुर–842001 /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(शिव प्रसाद) 27/6/06